

डीआईसीजीसी द्वारा किन बैंकों का बीमा किया जाता है?

सभी वाणिज्यिक बैंकों (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और सभी सहकारी बैंकों का डीआईसीजीसी द्वारा बीमा किया जाता है। प्राथमिक सहकारी समितियों का डीआईसीजीसी द्वारा बीमा नहीं किया जाता है। जमा बीमा योजना अनिवार्य है और कोई भी बैंक इससे अलग नहीं हो सकता।

आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक डीआईसीजीसी द्वारा बीमाकृत है?

बीमाकृत बैंकों की सूची डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर होम पेज के साथ-साथ 'जमाकर्ताओं के लिए' टैब के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है।

डीआईसीजीसी द्वारा बीमा की गई अधिकतम जमा राशि क्या है?

वर्तमान में, किसी बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को "समान अधिकार एवं समान क्षमता" में रखे गए मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम ₹ 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) तक बीमा प्रदान किया जाता है। इसका निर्धारण निम्न तारीख के अनुसार किया जाता है:

- किसी बैंक के लाइसेंस रद्द करने/परिसमापन की तारीख या
- समामेलन/विलय/पुनर्निर्माण की योजना किस तारीख से लागू होती है या
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के किसी भी प्रावधान के तहत जारी कोई निदेश या कोई निषेध या आदेश या निर्मित योजना और इस तरह के निदेश, निषेध, योजना के आदेश में ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं पर प्रतिबंध का प्रावधान है।

एक बैंक की विभिन्न शाखाओं में रखी गई जमा राशि को बीमा कवर के उद्देश्य से जोड़ा जाता है और अधिकतम ₹ 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) तक की राशि का भुगतान किया जाता है।

डीआईसीजीसी किसका बीमा करता है?

डीआईसीजीसी बैंकों में सभी जमा राशियों जैसे बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती इत्यादि का बीमा करता है, लेकिन इसमें विदेशी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी अन्य बैंक से प्राप्त जमा राशि, भारत के बाहर प्राप्त कोई जमा राशि या भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से डीआईसीजीसी द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त कोई भी राशि शामिल नहीं है।

क्या विभिन्न बैंकों में जमा राशि अलग-अलग बीमाकृत हैं?

हाँ। यदि आपके पास एक से अधिक बैंकों में जमा हैं, तो जमा बीमा कवरेज सीमा प्रत्येक बैंक में जमा पर अलग-अलग लागू होती है।

जमा बीमा की लागत का भुगतान कौन करता है?

जमा बीमा प्रीमियम पूरी तरह से बीमाकृत बैंक द्वारा वहन किया जाता है और इसे जमाकर्ताओं पर नहीं डाला जा सकता है।

हमारे बारे में

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। निगम की स्थापना जमाराशियों के बीमा और ऋण सुविधाओं की गारंटी के उद्देश्य से की गई थी और यह 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' (डीआईसीजीसी अधिनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961' के प्रावधानों द्वारा शासित है। निक्षेप बीमा निगम का प्रधान कार्य है। डीआईसीजीसी अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) का सदस्य है।

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

1961 से निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)



31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार

पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या : 1,982

पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात : 97.6%
बीमाकृत जमा अनुपात : 41.5%

एकत्रित प्रीमियम : ₹ 26,764 करोड़
निक्षेप बीमा निधि : ₹ 2,28,933 करोड़
आरक्षित अनुपात : 2.29%

निर्धारणीय जमाराशियाँ : ₹ 2,40,95,727 करोड़
बीमाकृत जमाराशियाँ : ₹ 1,00,04,919 करोड़
बीमाकृत खातों की कुल संख्या : 293.7 करोड़

डीआईसीजीसी एक नज़र में



दावा निपटान

2024-25 के दौरान निपटाए गए कुल दावे
₹ 476 करोड़

31 मार्च 2025 तक निपटाए गए
संचयी दावे
परिसमाप्त/ समामेलित/ पुनर्निर्मित बैंक
₹ 296 करोड़ (27 वाणिज्यिक बैंक)
₹ 10,954.75 करोड़ (389 सहकारी बैंक)

एआईडी* बैंक
₹ 5,690 करोड़ (64 सहकारी बैंकों के
4,04,148 जमाकर्ता)

*एआईडी : भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्व समावेशी निदेश



www.dicgc.org.in



dicgc@rbi.org.in



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, भारतीय रिज़र्व
बैंक भवन , दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के
सामने, भायखला, मुंबई – 400 008, भारत